फर्द अहकाम

मं. श्री ठाकुरजी बनाम शिशुपाल सिंह वगै०

न्यायालय

क्रम संख्या 46/73/06 दावा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	11.11.'19	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 28/11/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	28/11/19	वकील वादी उप० । पुन: बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते अवलोकन। आदेश दिनांक 06/12/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) Devyani	
	06/12/19	वकील वादी उप० । पत्रावली वास्ते अवलोकन व आदेश दिनांक 17/12/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) Devyani	
	17/12/19	वकील वादी उप० पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर आलम्बित किया गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) Devyani सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Devyani
Date: 2021.08.16 13:49:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर चौमूँ, जिला–जयपुर
पीठासीन अधिकारी –:श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–46/73/2006

उनवान

1. मंदिर श्री ठाकुर जी व श्री लक्ष्मीनारायण जी विराजमान वाके ग्राम मलिकपुर तहसील चौमू जिला जयपुर जरिये वाद–मित्र– जगदीश पुत्र स्व0 मांगूराम, जाति बलाई, निवासी ग्राम मलिकपुर, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. रिछपालसिंह } पुत्रान भागीरथ, जाति जाट, निवासी ग्राम मलिकपुर तह0 चौमूं
2. सतवीरसिंह } जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा
अ0 धारा 183, 188 राज0 टि0 एक्ट
निर्णय

निर्णय दिनांक :–17.12.2019

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादी माफी मंदिर ठाकुर जी व लक्ष्मीनारायण जी ग्राम मलिकपुर, तहसील चौमू, जिला जयपुर में विराजमान है तथा ठाकुर जी शाश्वत नाबालिंग है। वादी ठाकुरजी का नेक्ष्ट फ्रेण्ड वाद–मित्र जगदीश पुत्र स्व0 मांगूराम बलाई है। वाके ग्राम मलिकपुर तहसील चौमू, जिला जयपुर में वादी की खातेदारी भूमि स्थित है। जिसके खसरा नम्बर 973 रकबा 2.29 है0, 1746 रकबा 0.01 है0, 1747 रकबा 0.76 है0, 1748 रकबा 0.55 है0, 1817 रकबा 0.86 है0, 1877 रकबा 0.01 है0, 1879 रकबा 0.01 है0, 1968 रकबा 0.01 है0, 1003/2110 रकबा 0.01 है0, 1749/2142 रकबा 0.11 है0, 1813/2149 रकबा 0.12 है0 कुल किता 11 का कुल रकबा 4.74 हैक्टेयर है। जो वाद हाजा में भूमि विवादग्रस्त है। उक्त भूमि विवादग्रस्त सदैव से गांव के प्राचीन मंदिर श्री ठाकुरजी व लक्ष्मीनारायण जी भगवान की रही है। माफी मंदिर वादी की काश्त की भूमि खातेदारी में है तथा जागीरदारी के समय से माफी मंदिर वादी के उपयोग–उपभोग में आ रही है तथा मंदिर की भोग व्यवस्था में उक्त आराजी की खुदरा व प्राकृतिक पैदावार जो होती है उससे मंदिर की समस्त व्यवस्था की जाती रही है। भूमि विवादग्रस्त पर मंदिर वादी के नाम से वादमित्र(नेक्ष्ट फ्रेण्ड) के अनुसार दो वर्ष पूर्व कब्जा कर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 काश्त कर रहे हैं एवं बंटायत अनुसार उपज मंदिर के भोग व्यवस्था में नहीं आ रही है तथा माफी मंदिर ठाकुरजी व लक्ष्मीनारायण जी जो शाश्वत नाबालिग मूल खातेदार चले आ रहे हैं। जो वादी मंदिर की सम्पत्ति है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को बेदखल किया जाना प्रार्थनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2021.08.16 13:49:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण का भूमि विवादग्रस्त से कोई लेना–देना व हक अधिकार नहीं है। लेकिन हाल ही जमीनों के भाव बढ जाने से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की नियत में बदनियती आ गई है और प्रतिवादी संख्या 1 व 2 इसी बदनियती के कारण मंदिर में अस्थायी रूप से पुजारी से सांठ–गांठ बनाकर मंदिर में भोग आदि व्यवस्था के नाम पर भूमि मंदिर की सम्पत्ति को खुर्द–बुर्द करने के लिए पिछले दो वर्ष पूर्व कब्जा कर खसरा नम्बर 1746, 1747, 1748, 1749/4142 में आबादी बसाने के लिए छोटे–छोटे भूखण्डों में भूमि को खुर्द–बुर्द करने हेतु एक नक्शा तैयार करवा कर बेचना प्रारम्भ कर दिया जिस पर वाद मित्र एवं गांव वालों को पता चला तो गांव वालों के सहयोग से जिला कलक्टर एवं तहसीलदार चौमू को लिखित में शिकायत की, जिस पर कोई कार्यवाही होने से पूर्व ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजस्व अधिकारियों से मिलिभगत कर कार्यवाही को दबवा दी। जो अब प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने आपस में सांठ–गांठ कर वादी मंदिर की सम्पत्ति भूमि विवादग्रस्त को खुर्द–बुर्द करने के लिए बाहरी भू–माफिया गिरोह से मिलिभगत कर भूमि विवादग्रस्त में बिल्डिंग आदि बना कर अवैध कॉलोनी की बसावट आदि करने की चेष्टा में है। जिसका की प्रतिवादीगण को कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं है कि वे भूमि विवादग्रस्त को खुर्द–बुर्द करें या कोई अवैध कॉलोनी की बसावट करे। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 दिनांक 15.02.2006 को कुछ बाहरी व्यक्तियों भू–माफियाओं को लाकर भूमि विदग्रस्त को दिखाई व अवैध रूप से कॉलोनी की बसावट करने के लिए व खुर्द–बुर्द करने के लिए नाप जोक करने लगे, तब वादी मंदिर व पुजारी ने मना किया तो प्रतिवादीगण ने एलानियां धमकी दी कि जमीनें महंगी हो गई है, इसलिए इस पर अवैध कॉलोनी की बसावट कर खुर्द–बुर्द करेंगे, मंदिर या मंदिर की ओर से कोई पुजारी नेक्टष्ट फ्रेण्ड इस बाबत दखल करेगा, तो उसे जमीन में गाड कर दफन कर देंगे। इस कारण वाद पत्र पेश करना लाजमी आया है।

मंदिर वादी को अधिकार हांसिल है कि वह न्यायालय श्रीमान के यहां से भूमि विवादग्रस्त माफी मंदिर श्री ठाकुर जी व लक्ष्मीनारायण जी वाके ग्राम मलिकपुर की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को बेदखल करवाये एवं कब्जा वादी को सम्भलाया जावे एवं प्रतिवादियों को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द करवायें कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 वादी मंदिर की भूमि विवादग्रस्त में किसी भी भू भाग पर कोई अवैध कॉलोनी की बसावट नहीं करें, ना ही भूमि को खुर्द–बुर्द करें, ना ही अवैध रूप से कोई कॉलोनी के प्लॉट, ना ही रास्ते आदि बना कर खाम व पुख्ता निर्माण आदि नहीं करें, ना ही किसी भी भू भाग को बेचाना, हस्तान्तरण करें, ना ही वादी मंदिर के उपयोग–उपभोग करने, प्राकृतिक व खुदरा पैदावार लेने में किसी प्रकार की रूकावट, मजाहमत व मदाहखत नहीं करें, ना ही अन्य एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन से करवायें एवं प्रतिवादी संख्या 2 उक्त आराजी भूमि विवादग्रस्त में अदालत आदेश के बिना किसी प्रकार से रिकॉर्ड राजस्व में कोई परिवर्तन नहीं करें, ना ही अन्य से करवायें। यदि प्रतिवादीगण को पाबन्द नहीं किया गया जो वादी मंदिर को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी। जिसकी पूर्ति रूपयों में किया जाना कतई संभव नहीं हो सकेगा।

भूमि विवादग्रस्त माफी मंदिर की है एवं भूमि की आय मंदिर के भोग, विलास, व्यवस्था हेतु चली आ रही है। इस प्रकार वाद पत्र में वर्णित तथ्यों से प्रथम दृष्ट्या केस एवं सुविधा का सन्तुलन बखुबी वादी मंदिर के हक में हो रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2021.08.16 13:49:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

वाद पत्र में वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया है कि वाद वादी बाबत् बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा का डिक्री फरमाया जाकर वाद पत्र में वर्णित आराजी भूमि विवादग्रस्त खसरा किता 11 कुल रकबा 4.74 हैक्टेयर वाके ग्राम मलिकपुर, तहसील चौमू, जिला जयपुर की भूमि जो माफी मंदिर श्री ठाकुर जी व श्री लक्ष्मीनारायण जी के नाम से खातेदारी की है, जिससे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को सम्भलाया जावें। प्रतिवादीगणों को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द फरमाया जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 भूमि विवादग्रस्त में किसी भी भू भाग पर कोई अवैध कॉलानी की बसावट नहीं करें, ना ही पेड पौधे काटे, ना ही भूमि को खुर्द–बुर्द करें, ना ही अवैध रूप से कोई कॉलोनी के प्लॉट, रास्ते आदि बना कर खाम व पुख्ता निर्माण आदि नहीं करें, ना ही किसी भी भू भाग का बेचान, हस्तान्तरण करें। ना ही कृषि से अकृषि में परिवर्तन करें, ना ही वादी मंदिर के उपयोग उपभोग करने, प्राकृतिक व खुदरा पैदावार लेने में किसी प्रकार की रूकावट, मजाहमत व मदाहकत नहीं करें, ना ही अन्य ऐजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन से करवाये एवं प्रतिवादी संख्या 3 उक्त आराजी भूमि विवादग्रस्त में अदालत आदेश के बिना किसी प्रकार से रिकॉर्ड राजस्व में कोई परिवर्तन नहीं करें, ना ही अन्य से करवायें।

वाद पेश होने पर वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 द्वारा जवाब दावा इस आशय का पेश किया गया कि वर्णित मंदिर ग्राम मलिकपुर सीतारामपुरा में स्थित है, लेकिन तथाकथित वाद मित्र गलत है व झूंठा है, जिस कारण इससे संबंधित तथ्य अस्वीकार है। क्योंकि तथाकथित वाद मित्र न तो मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी का हितेषी है ना ही उसका कोई संबंध है। मंदिर की पूजा अर्चना मंदिर के पुजारियों द्वारा की जाती है तथा वे ही मंदिर की देखभाल व समस्त व्यवस्थाऐं करते हैं। तथाकथित वाद मित्र केवल अपने स्वार्थ की प्राप्ति हेतु ईर्ष्यावश यह वाद माननीय न्यायालय में झूंठा व बिना विवाद के प्रस्तुत किया है। मन प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एक झूंठा वाद उनवानी जगदीश बनाम रिछपाल सिंह इस तथाकथित वाद मित्र ने सिविल न्यायालय में दायर कर रखा है। जिस कारण दबाव बनाने के लिए यह मिथ्या वाद कपोल कल्पित तथ्यों पर प्रस्तुत किया है जो निरस्तनीय है। वाद पत्र में अंकित भूमियां किसी प्रकार भी विवादित नहीं है।

मंदिर की जागीर में बहुत सी भूमियों थी उनका इस वाद में कोई वर्णन नहीं किया है और ना ही अंकित किया है कि वे भूमियां अब किसके पास है। वाद पत्र में अंकित भूमियों पर कौन–कौन काबिज है, यह भी स्पष्ट अंकित नहीं किया है। जिस कारण वाद तुच्छ व परेशान करने हेतु वादी न अस्पष्ट कथन के साथ प्रस्तुत किया है। जो तुरन्त निरस्तनीय है। तथाकथित वाद मित्र कपोल कल्पित व मन गढन्त तथ्य अंकित कर रहा है जबकि वास्तविकता यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने भूमियां साबिक खसरा नम्बर 682 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नम्बर 683 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा जमाबंदी में तत्समय अंकित खातेदार काश्तकार श्री [illegible] जाट, निवासी ग्राम मलिकपुर सीतारामपुरा वाले से जरिये पंजिकृत [illegible] दिनांक 04.08.1979 को मूल्यवान प्रतिफल अदाकर क्रय की थी और तभी से [illegible] काश्त कर रहा है तथा लगान सरकार को भुगतान कर रहा है। साबिक खसरा नम्बर 682 व 683 से हाल खसरा नम्बर 1746 रकबा 0.01 है0, 1747 रकबा 0.[illegible] है0, 1748 रकबा 0.55 है0,

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2021.08.16 13:49:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

1749 / 2142 रकबा 0.11 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 1.43 हैक्ट0 बने है। इन्हीं में से मन प्रतिवादी संख्या 1 का संबंध व सरोकार है। वाद पत्र में अन्य हाल खसरा नम्बर 973 रकबा 2.29 है0, 1817 रकबा 0.86 है0, 1877 रकबा 0.01 है0, 1879 रकबा 0.01 है0, 1968 रकबा 0.01 है0, 1003 / 2110 रकबा 0.01 है0, 1813 / 2149 रकबा 0.12 है0 जिनका मन प्रतिवादी से किसी प्रकार को कोई संबंध नहीं है, परन्तु वादी मंदिर के तथाकथित वाद मित्र ने इस संबंध में किसी प्रकार का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है जो वादी को कपट को दर्शाता है। जिस कारण तथ्यों को छुपा कर तुच्छ व परेशान करने की नियत मात्र से यह वाद प्रस्तुत किया गया है। जबकि प्रतिवादी संख्या 2 से किसी प्रकार को संबंध नहीं है। तुरन्त निरस्तनीय है। प्रतिवादी संख्या 1 ने केवल भूमियां साबिक खसरा नम्बर 682 व 683 सन् 1979 में तत्कालीन रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार रूपनारायण जाट से जरिये रजिस्टर पंजिकृत विक्रय के क्रय की थी तथा उसी समय से प्रतिवादी संख्या 1 काबिज काश्त कर रहा है तथा उसी समय नामान्तरण भी तस्दीक होकर खातेदारी प्रतिवादी संख्या1 के नाम खोली जा चुकी थी और प्रतिवादी संख्या 1 ही सरकार को लगान चुकाता आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से पूर्व खातेदार व काबिज काश्तकार रूपनारायण जाट था ऐसी स्थिति में तथाकथित वाद मित्र का कथन कि प्रतिवादीगण 1 व 2 ने दो वर्ष पूर्व कब्जा किया, अपने आप में गलत साबित है, क्योंकि प्रतिवादी करीब 30 साल से काबिज काश्त कर रहा है। इस मद में तथाकथित वाद मित्र का यह कथन भी पूर्णतया गलत है कि साबिक खसरा नम्बर 682, 683 के हाल खसरा नम्बर 1746, 1747, 1748, 1749 / 4142 में भूखण्ड काटे जा रहे हैं क्योंकि यह भूमि आबादी व मुख्य ग्राम से दूर खेतों के मध्य स्थित है। जिस कारण छोटे–छोटे भूखण्ड की बात पूर्णतया मिथ्या आधार की है। यह वाद तथाकथित वाद मित्र ने अपने स्वार्थपूर्ति व उस द्वारा अन्य स्वयं के सिविल वाद में दबाव बनाने के उद्येश्य से ईर्ष्यावश गलत तथ्यों पर पेश किया है। विगत 30 साल से खरीदशुदा भूमियों पर कब्जा काश्त प्रतिवादी संख्या 1 का है जो काबिज रह कर काश्त कर रहा है व लगान सरकार को भुगतान कर रहा है और आबाध रूप से उत्पादन का उपयोग–उपभोग कर रहा है जिस कारण प्रथम दृष्ट्या केस प्रतिवादी के हक में है तथा वादी के विरूद्ध ही साबित है। वाद अस्पष्ट तथ्यों पर आधारित होने के कारण वाद कारण के अभाव के कारण, अवधि बाहर होने कारण, कपटपूर्ण एवं ईर्ष्यावृति पर आधारित होने के कारण तथा छुद्र हरकतों द्वारा परेशान किया जाने वाला होने के कारण तुरन्त निरस्तनीय है।

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श–1 जमाबन्दी खाता संख्या 304 संवत् 2057–60 व मौखिक साक्ष्य के रूप में साक्ष्य के शपथ पत्र स्वयं वाद मित्र जगदीश पुत्र स्व. मांगूराम पेश की है तथा प्रतिवादी द्वारा प्रदर्श–A–1 असल विक्रय पत्र रामप्रताप बहक रूपनारायण दिनांक 28.06.1977, प्रदर्श–2 असल विक्रय पत्र रूपनारायण बहक रिछपालसिंह दिनांक 27.07.1979 पेश किये गये है।

प्रकरण में निम्न प्रकार से विवाद्यक कायम की गई

1. आया वादी विवादग्रस्त भूमियों से प्रतिवादीगण को बेदखल करने के कानूनी अधिकारी है।–जिम्मे वादी–

2. आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा वाद पत्र के अनुतोष खण्ड (ख) के अनुसार पाबन्द करवाने के अधिकारी है।–जिम्मे वादी–

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2021.08.16 13:49:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

3. आया वादी के वाद मित्र जगदीश ने यह वाद स्वयं ही स्वार्थ सिद्धि हेतु मंदिर मूर्ति का हितेषी न होते हुए ईर्ष्यावश तुच्छ व परेशान करने हेतु प्रस्तुत किया है। जिस कारण निरस्तनीय है।–जिम्मे प्रतिवादी–

4. आया प्रतिवादी संख्या 1 ने रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार से मूल्यवान प्रतिफल अदा कर साबिक खसरा नम्बर 682, 683 की भूमियों सन् 1979 में जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र क्रय कर काबिज काश्त हैं तथा लगान सरकार को अदा कर रहा है। जिस कारण वाद निरस्तनीय है।–जिम्मे प्रतिवादी–

5. दादरसी

वकील वादी की बहस सुनी गई जिसमें मुख्य रूप से अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराया। हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया।

उक्त तनकीयात का निम्न प्रकार से विनिश्चय किया जाता है।

तनकी नं0 1 :– आया वादी विवादग्रस्त भूमियों से प्रतिवादीगण को बेदखल करने के कानूनी अधिकारी है।–जिम्मे वादी–

इस तनकी नं0 1 साबित करने का भारी वादी पर था। वादी ने वादपत्र में वर्णित विवादग्रस्त आराजीयात के बाबत् प्रदर्श–1 जमाबंदी पेश की जो मन्दिर श्री ठाकूरजी लक्ष्मीनारायण जी के नाम से खातेदारी दर्ज है। वादी ने वाद पत्र को जमाबंदी व मौखिक साक्ष्य से पूर्णतः साबित किया है। तनकी नं0 1 वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के निरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2 :– आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा वाद पत्र के अनुतोष खण्ड (ख) के अनुसार पाबन्द करवाने के अधिकारी है।–जिम्मे वादी–

इस तनकी नं0 2 को साबित करने का भार वादी पर था। वादी ने वाद पत्र खातेदारी, जमाबन्दी अनुसार साबित की है जिससे वाद पत्र के अनुतोष (खण्ड ख) के अनुसार प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। तनकी नं0 2 वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 3 :– आया वादी के वाद मित्र जगदीश ने यह वाद स्वयं ही स्वार्थ सिद्धि हेतु मंदिर मूर्ति का हितेषी न होते हुए ईर्ष्यावश तुच्छ व परेशान करने हेतु प्रस्तुत किया है। जिस कारण निरस्तनीय है।–जिम्मे प्रतिवादी–

इस तनकी नं0 3 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 पर था। जिन्होने न तो दस्तावेजी साक्ष्य से व न ही मौखिक साक्ष्य से साबित की है। तनकी नं0 3 प्रतिवादीगण के विरुद्ध व वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2021.08.16 13:49:09 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नं0 4 :– आया प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] खातेदार काश्तकार से मूल्यवान प्रतिफल अदा कर साबिक खसरा नम्बर [illegible] भूमियों सन् 1979 में जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र क्रय कर काबिज [illegible] को अदा कर रहा है। जिस कारण वाद निरस्त[illegible]

इस तनकी नं0 4 को साबित करने का भार प्रति[illegible]ण पर था। प्रतिवादी संख्या 1 ने मूल खातेदार से भूमि 1979 में जरिये विक्रय खरीद करना अंकित किया है लेकिन

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी ने मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य साबित नहीं किया है। अतः यह तनकी भी वादी के पक्ष व प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

वादी ने वाद पत्र के मद नं0 2 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 973 रकबा 2.29 है0, 1746 रकबा 0.01 है0, 1747 रकबा 0.76 है0, 1748 रकबा 0.55 है0, 1817 रकबा 0.86 है0, 1877 रकबा 0.01 है0, 1879 रकबा 0.01 है0, 1968 रकबा 0.01 है0, 1003/2110 रकबा 0.01 है0, 1749/2142 रकबा 0.11 है0, 1813/2149 रकबा 0.12 है0 कुल किता 11 का कुल रकबा 4.74 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम मलिकपुर तह0 चौमूं जिला जयपुर जो भूमि माफी मन्दिर श्री ठाकुरजी व लक्ष्मीनारायण के नाम से खातेदारी दर्ज है तनकी नं0 1 ता 4 वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित होने से वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वाद पत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 973 रकबा 2.29 है0, 1746 रकबा 0.01 है0, 1747 रकबा 0.76 है0, 1748 रकबा 0.55 है0, 1817 रकबा 0.86 है0, 1877 रकबा 0.01 है0, 1879 रकबा 0.01 है0, 1968 रकबा 0.01 है0, 1003/2110 रकबा 0.01 है0, 1749/2142 रकबा 0.11 है0, 1813/2149 रकबा 0.12 है0 कुल किता 11 का कुल रकबा 4.74 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम मलिकपुर तह0 चौमूं जिला जयपुर से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को बेदखल करने का आदेश दिया जाता है एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी मन्दिर के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे एवं ना ही निर्माण, बेचान आदि करे। डिक्री जारी हो। पत्रावजी फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 17.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devyani
Date: 2021.08.16 13:49:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–46/73/2006

उनवान

1. मंदिर श्री ठाकुर जी व श्री लक्ष्मीनारायण जी विराजमान वाके ग्राम मलिकपुर तहसील चौमू जिला जयपुर जरिये वाद–मित्र–
जगदीश पुत्र स्व0 मांगूराम, जाति बलाई, निवासी ग्राम मलिकपुर, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. रिछपालसिंह } पुत्रान भागीरथ, जाति जाट, निवासी ग्राम मलिकपुर तह0 चौमूं
2. सतवीरसिंह } जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा
अ0 धारा 183, 188 राज0 टि0 एक्ट

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुददई रूबरू श्रीमती देवयानी आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वाद पत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 973 रकबा 2.29 है0, 1746 रकबा 0.01 है0, 1747 रकबा 0.76 है0, 1748 रकबा 0.55 है0, 1817 रकबा 0.86 है0, 1877 रकबा 0.01 है0, 1879 रकबा 0.01 है0, 1968 रकबा 0.01 है0, 1003/2110 रकबा 0.01 है0, 1749/2142 रकबा 0.11 है0, 1813/2149 रकबा 0.12 है0 कुल किता 11 का कुल रकबा 4.74 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम मलिकपुर तह0 चौमूं जिला जयपुर से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को बेदखल करने का आदेश दिया जाता है एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी मन्दिर के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे एवं ना ही निर्माण, ... करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2021.08.16 13:49:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 17.12.2019 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत .....
ओहदा.....सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	4 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	1
जोड़	5	जोड़	1

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2021.08.16 13:49:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2020.02.05 13:42:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: